

न्यायालय— विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट—1985
राजगढ़ जिला राजगढ़ म0प्र0
विशेष एनडीपीएस प्र.क्र. 21 / 2021
सीएनआर नंबर एमपी 39010014492021

ओमप्रकाश पिता कल्याण दत्त शर्मा,
निवासी देशप्रेमी गली शिव मंदिर
खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
..... अभियुक्त

।। विरुद्ध ।।

म0प्र0राज्य द्वारा
थाना खिलचीपुर,
जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
..... अनावेदक /राज्य

21.07.2025

राज्य द्वारा लोक अभियोजक उपस्थित ।
आरोपी ओमप्रकाश पूर्व से अनुपस्थित ।
प्रकरण आरोपी की मृत्यु रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है ।
आरोपी ओमप्रकाश का जारी गिरफ्तारी वारंट इस
टीप के साथ वापस प्राप्त की उसकी मृत्यु हो चुकी है, साथ
में उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न है ।
जिससे यह स्पष्ट है कि आरोपी ओमप्रकाश पिता कल्याण
दत्त शर्मा की मृत्यु हो चुकी है । अतः आरोपी को
फौत घोषित किया जाता है । उसके विरुद्ध कार्यवाही शमित
की जाती है उसके जमानत मुचलके भारमुक्त होकर निरस्त
किए जाते हैं ।

प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ का अपील अवधि
पश्चात अपील न होने की दशा में नियमानुसार व्ययन किया
जाए, अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का
पालन किया जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा
जावे ।

(डॉ. लखनलाल गोस्वामी)

विशेष न्यायाधीश
(एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985)
राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0